

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-53/2/2011/यो/19/

भोपाल, दिनांक.....

विषय:- लोक निर्माण विभाग में अव्यवहारिक (unworkable rates) निविदा प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही ।

संदर्भ:- शासन का आदेश क्रमांक एफ-53/2/2011/यो/19/5788, दिनांक 25.10.2011

:: आदेश ::

राज्य शासन एतद् द्वारा लोक निर्माण विभाग में अव्यवहारिक (unworkable) निविदा प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में उपरोक्त संदर्भित आदेश की कड़िका (iv) में निम्नानुसार संशोधन जारी करता है :

(iv) उपरोक्तानुसार अव्यवहारिक दरों (unworkable rates) के लिए ली गई अतिरिक्त परफारमेंस गारन्टी (additional performance guarantee) की राशि ठेकेदार द्वारा मापदण्डानुसार सम्पादित कराये गये कार्य की मात्रा के अनुपात में समय समय पर विमुक्त (Release) की जाये ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है एवं इसके जारी दिनांक के पश्चात् आमंत्रित सभी निविदाओं में अतिरिक्त विशेष शर्त के रूप में जोड़ा जाये ।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के. मेहरा)
सचिव, म.प्र.शासन
लोक निर्माण विभाग

भोपाल, दिनांक 11-7-18

पृ० क्रमांक : एफ-53/2/2011/यो/19/ 2807

- प्रतिलिपि :-
1. प्रबन्ध संचालक, म.प्र. सड़क विकास निगम, भोपाल
 2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल
 3. परियोजना संचालक, पी.आई.यू, लोक निर्माण विभाग, भोपाल
 4. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.
 5. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, पी.आई.यू, लो.नि.वि, म.प्र.
 6. समस्त अधीक्षण यंत्री, मण्डल कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.
 7. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, म.प्र.
 8. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, पी.आई.यू, लो.नि.वि., म.प्र.
 9. निज सचिव मा० मंत्रीजी, म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग